Previously published as India No. 1 (1994) Cm 2642.



Treaty Series No. 27 (1995)

Agreement

between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of India

for the Promotion and Protection of Investments

London, 14 March 1994

[The Agreement entered into force on 6 January 1995]

Presented to Parliament
by the Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs
by Command of Her Majesty
April 1995

LONDON: HMSO

£4.50 net

AGREEMENT

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA FOR THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of India (hereinafter referred to as the "Contracting Parties");

Desiring to create conditions favourable for fostering greater investment by investors of one State in the territory of the Other State;

Recognising that the encouragement and reciprocal protection under international agreement of such investment will be conducive to the stimulation of individual business initiative and will increase prosperity in both States;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

Definitions

For the purposes of this Agreement:

- (a) "companies" means:
 - (i) in respect of the United Kingdom: corporations, firms and associations incorporated or constituted under the law in force in any part of the United Kingdom or in any territory to which this Agreement is extended in accordance with the provisions of Article 13;
 - (ii) in respect of India: corporations, firms and associations incorporated or constituted under the law in force in any part of India;
- (b) "investment" means every kind of asset established or acquired, including changes in the form of such investment, in accordance with the national laws of the Contracting Party in whose territory the investment is made and in particular, though not exclusively, includes;
 - (i) movable and immovable property as well as other rights such as mortgages, liens or pledges;
 - (ii) shares in and stock and debentures of a company and any other similar forms of interest in a company;
 - (iii) rightful claims to money or to any performance under contract having a financial value;
 - (iv) intellectual property rights, goodwill, technical processes and know-how in accordance with the relevant laws of the respective Contracting Party;
 - (v) business concessions conferred by law or under contract, including concessions to search for and extract oil and other minerals;
- (c) "investors" means any national or company of a Contracting Party;
- (d) "nationals" means:
 - (i) in respect of the United Kingdom: physical persons deriving their status as United Kingdom nationals from the law in force in the United Kingdom;
 - (ii) in respect of India: persons deriving their status as Indian nationals from the law in force in India;
- (e) "returns" means the monetary amounts yielded by an investment such as profit, interest, capital gains, dividends, royalties and fees;
- (f) "territory" means:
 - (i) in respect of the United Kingdom: Great Britain and Northern Ireland, including the territorial sea and any maritime area situated beyond the territorial sea of the United Kingdom which has been or might in the future be designated under the national law of the United Kingdom in accordance

- with international law as an area within which the United Kingdom may exercise rights with regard to the sea-bed and subsoil and the natural resources and any territory to which this Agreement is extended in accordance with the provisions of Article 13;
- (ii) in respect of India: the territory of the Republic of India including its territorial waters and the airspace above it and other maritime zones including the Exclusive Economic Zone and continental shelf over which the Republic of India has sovereignty, sovereign rights or jurisdiction in accordance with its laws in force, and Public International Law including the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea¹.

Scope of the Agreement

This Agreement shall apply to all investments made by investors of either Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, whether made before or after the coming into force of this Agreement.

ARTICLE 3

Promotion and Protection of Investment

- (1) Each Contracting Party shall encourage and create favourable conditions for investors of the other Contracting Party to make investments in its territory, and admit such investments in accordance with its laws and policy.
- (2) Investments of investors of each Contracting Party shall at all times be accorded fair and equitable treatment and shall enjoy full protection and security in the territory of the other Contracting Party.
- (3) Each Contracting Party shall observe any obligation it may have entered into with regard to investments of investors of the other Contracting Party, provided that dispute resolution under Article 9 of this Agreement shall only be applicable to this paragraph in the absence of a normal local judicial remedy being available.

ARTICLE 4

National Treatment and Most-favoured-nation Treatment

- (1) Each Contracting Party shall accord to investments of investors of the other Contracting Party, including their operation, management, maintenance, use, enjoyment or disposal by such investors, treatment which shall not be less favourable than that accorded either to investments of its own investors or to investments of investors of any third State.
- (2) In addition each Contracting Party shall accord to investors of the other Contracting Party, including in respect of returns on their investments, treatment which shall not be less favourable than that accorded to investors of any third State.
- (3) The provisions of this Agreement relative to the grant of treatment not less favourable than that accorded to the investors of either Contracting Party or of any third State shall not be construed so as to oblige one Contracting Party to extend to the investors of the other the benefit of any treatment, preference or privilege resulting from:
- (a) any existing or future customs union or similar international agreement to which either of the Contracting Parties is or may become a party, or
- (b) any international agreement or arrangement relating wholly or mainly to taxation or any domestic legislation relating wholly or mainly to taxation.

¹ Miscellaneous Series No. 11 (1983) Cmnd. 8941.

Expropriation

- (1) Investments of investors of either Contracting Party shall not be nationalised, expropriated or subjected to measures having effect equivalent to nationalisation or expropriation (hereinafter referred to as "expropriation") in the territory of the other Contracting Party except for a public purpose related to the internal requirements for regulating economic activity on a non-discriminatory basis and against fair and equitable compensation. Such compensation shall amount to the genuine value of the investment expropriated immediately before the expropriation or before the impending expropriation became public knowledge, whichever is the earlier, shall include interest at a fair and equitable rate until the date of payment, shall be made without unreasonable delay, be effectively realizable and be freely transferable.
- (2) The investor affected shall have a right, under the law of the Contracting Party making the expropriation, to review, by a judicial or other independent authority of that Party, of his or its case and of the valuation of his or its investment in accordance with the principles set out in this paragraph. The Contracting Party making the expropriation shall make every endeavour to ensure that such review is carried out promptly.
- (3) Where a Contracting Party expropriates the assets of a company which is incorporated or constituted under the law in force in any part of its own territory, and in which investors of the other Contracting Party own shares, it shall ensure that the provisions of paragraph (1) of this Article are applied to the extent necessary to guarantee prompt, adequate and effective compensation in respect of their investment to such investors of the other Contracting Party who are owners of those shares.

ARTICLE 6

Compensation for Losses

- (1) Investors of one Contracting Party whose investments in the territory of the other Contracting Party suffer losses owing to war or other armed conflict, a state of national emergency or civil disturbances in the territory of the latter Contracting Party shall be accorded by the latter Contracting Party treatment, as regards restitution, indemnification, compensation or other settlement, no less favourable than that which the latter Contracting Party accords to its own investors or to investors of any third State. Resulting payments shall be freely transferable.
- (2) Without prejudice to paragraph (1) of this Article, investors of one Contracting Party who in any of the situations referred to in that paragraph suffer losses in the territory of the other Contracting Party resulting from:
- (a) requisitioning of their property by its forces or authorities, or
- (b) destruction of their property by its forces or authorities, which was not caused in combat action or was not required by the necessity of the situation,

shall be accorded restitution or adequate compensation. Resulting payments shall be freely transferable.

ARTICLE 7

Repatriation of Investment and Returns

Each Contracting Party shall in respect of investments grant to investors of the other Contracting Party the unrestricted transfer of their investments and returns. Transfers shall be effected without delay in the convertible currency in which the capital was originally invested or in any other convertible currency agreed by the investor and the Contracting Party concerned. Unless otherwise agreed by the investor transfers shall be made at the rate of exchange applicable on the date of transfer pursuant to the exchange regulations in force.

Subrogation

- (1) Where one Contracting Party or its designated agency has guaranteed any indemnity against non-commercial risks in respect of an investment by any of its investors in the territory of the other Contracting Party and has made payment to such investors in respect of their claims under this Agreement, the other Contracting Party agrees that the first Contracting Party or its designated agency is entitled by virtue of subrogation to exercise the rights and assert the claims of those investors. The subrogated rights or claims shall not exceed the original rights or claims of such investors.
- (2) Any payments received in non-convertible currency by the first Contracting Party in pursuance of the rights and claims acquired shall be freely available to the first Contracting Party for the purpose of meeting any official expenditure incurred in the territory of the other Contracting Party.

ARTICLE 9

Settlement of Disputes between an Investor and a Host State

- (1) Any dispute between an investor of one Contracting Party and the other Contracting Party in relation to an investment of the former under this Agreement shall, as far as possible, be settled amicably through negotiations between the parties to the dispute.
- (2) Any dispute which has not been amicably settled within a period of six months from written notification of a claim may be submitted to international conciliation under the Conciliation Rules of the United Nations Commission on International Trade Law, if the parties to the dispute so agree.
- (3) Where the dispute is not referred to international conciliation, or where it is so referred but conciliation proceedings are terminated other than by the signing of a settlement agreement, the dispute may be referred to arbitration as follows:
- (a) if the Contracting Party of the investor and the other Contracting Party are both parties to the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States, 1965¹, and the investor consents in writing to submit the dispute to the International Centre for the Settlement of Investment Disputes such a dispute shall be referred to the Centre;

or

- (b) if both parties to the dispute so agree under the Additional Facility for the Administration of Conciliation, Arbitration and Fact-Finding Proceedings;
- (c) to an *ad hoc* arbitral tribunal by either party to the dispute in accordance with the Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law, 1976. In respect of such arbitral proceedings, the following shall apply:
 - (i) The Arbitral Tribunal shall consist of three arbitrators. Each party shall select an arbitrator. These two arbitrators shall appoint by mutual agreement a third arbitrator, the Chairman, who shall be a national of a third State. The arbitrators shall be appointed within two months from the date when one of the parties to the dispute informs the other of its intention to submit the dispute to arbitration within the period of the six months mentioned earlier in paragraph (2) of this Article;
 - (ii) If the necessary appointments are not made within the period specified in sub-paragraph (c)(i), either party may, in the absence of any other agreement, request the President of the International Court of Justice to make the necessary appointment;
 - (iii) The arbitral award shall be made in accordance with the provisions of this Agreement;

¹ Treaty Series No. 25(1967) Cmnd. 3255.

- (iv) The tribunal shall reach its decision by a majority of votes;
- (v) The decision of the arbitral tribunal shall be final and binding and the parties shall abide by and comply with the terms of its award;
- (vi) The arbitral tribunal shall state the basis of its decision and give reasons upon the request of either party;
- (vii) Each party concerned shall bear the cost of its own arbitrator and its representation in the arbitral proceedings. The cost of the Chairman in discharging his arbitral function and the remaining costs of the tribunal shall be borne equally by the parties concerned. The tribunal may, however, in its decision direct that a higher proportion of costs shall be borne by one of the two parties, and this award shall be binding on both parties.

Disputes between the Contracting Parties

- (1) Disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation or application of this Agreement should, if possible, be settled through negotiation.
- (2) If a dispute between the Contracting Parties cannot thus be settled within six months from the time the dispute arose, it shall upon the request of either Contracting Party be submitted to an arbitral tribunal.
- (3) Such an arbitral tribunal shall be constituted for each individual case in the following way. Within two months of the receipt of the request for arbitration, each Contracting Party shall appoint one member of the tribunal. Those two members shall then select a national of a third State who on approval by the two Contracting Parties shall be appointed Chairman of the tribunal. The Chairman shall be appointed within two months from the date of appointment of the other two members.
- (4) If within the periods specified in paragraph (3) of this Article the necessary appointments have not been made, either Contracting Party may, in the absence of any other agreement, invite the President of the International Court of Justice to make any necessary appointments. If the President is a national of either Contracting Party or if he is otherwise prevented from discharging the said function, the Vice-President shall be invited to make the necessary appointments. If the Vice-President is a national of either Contracting Party or if he too is prevented from discharging the said function, the Member of the International Court of Justice next in seniority who is not a national of either Contracting Party shall be invited to make the necessary appointments.
- (5) The arbitral tribunal shall reach its decision by a majority of votes. Such decision shall be binding on both Contracting Parties. Each Contracting Party shall bear the cost of its own member of the tribunal and of its representation in the arbitral proceedings; the cost of the Chairman and the remaining costs shall be borne in equal parts by the Contracting Parties. The tribunal may, however, in its decision direct that a higher proportion of costs shall be borne by one of the two Contracting Parties, and this award shall be binding on both Contracting Parties. The tribunal shall determine its own procedure.

ARTICLE 11

Applicable Laws

- (1) Subject to the provisions of this Agreement, all investment shall be governed by the laws in force in the territory of the Contracting Party in which such investments are made.
- (2) Notwithstanding paragraph (1) of this Article nothing in this Agreement precludes the host Contracting Party from taking action for the protection of its essential security interests or in circumstances of extreme emergency in accordance with its laws normally and reasonably applied on a non-discriminatory basis.

Application of other Rules

If the provisions of law of either Contracting Party or obligations under international law existing at present or established hereafter between the Contracting Parties in addition to the present Agreement contain rules, whether general or specific, entitling investments by investors of the other Contracting Party to a treatment more favourable than is provided for by the present Agreement, such rules shall to the extent that they are more favourable prevail over the present Agreement.

ARTICLE 13

Territorial Extension

At the time of ratification of this Agreement, or at any time thereafter, the provisions of this Agreement may be extended to such territories for whose international relations the Government of the United Kingdom are responsible as may be agreed between the Contracting Parties in an Exchange of Notes.

ARTICLE 14

Entry into Force

This Agreement shall be subject to ratification and shall enter into force on the date of exchange of Instruments of Ratification.¹

ARTICLE 15

Duration and Termination

This Agreement shall remain in force for a period of ten years. Thereafter it shall continue in force until the expiration of twelve months from the date on which either Contracting Party shall have given written notice of termination to the other. Provided that in respect of investments made whilst the Agreement is in force, its provisions shall continue in effect with respect to such investments for a period of fifteen years after the date of termination and without prejudice to the application thereafter of the rules of general international law.

ARTICLE 16

There shall be a text of the Agreement in the Hindi language, duly certified by both Governments, which shall be equally authoritative.

In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in duplicate at London this Fourteenth day of March 1994.

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:

For the Government of the Republic of India:

DOUGLAS HURD

L M SINGHVI

¹ The Agreement entered into force on 6 January 1995.

Hindi text of the Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of India for the Promotion and Protection of Investments, signed at London on 14th March 1994.

This text has been prepared in accordance with Article 16 of the Agreement and shall be equally authoritative with the English text.

Done in duplicate at London this 1716 day of November 1994.

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:

ROGER D. HART

For the Government of the Republic of India:

L M SINGHVI

निवेशों के संवर्धन और संरक्षण हेतु ग्रेट ब्रिटेन तथा उत्तरी आयरलैण्ड की यूनाइटेड किंगडम की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच करार के हिन्दी पाठ पर 14 मार्च, 1994 को लंदन में हस्ताक्षर किए गए 1

यह पाठ करार के अनुच्छेद 16 के अनुसार तैयार किया गया है और यह अंग्रेज़ी पाठ के समान प्रामाणिक होगा ।

आज 17 मळ कर, 1994 को लंदन में दो प्रतियों में सम्पन्न हुआ ।

ग्रेट ब्रिटेन तथा उत्तरी आयरलैण्ड की युनाइटेड किंगडम की सरकार की ओर से :

ROGER D. HART

भारत गणराज्य सरकार की ओर से :

L M SINGHVI

निवेशों के संवर्धन और संरक्षण

हेतु

ग्रेट ब्रिटेन तथा उत्तरी आयरलैंड की यूनाइटेंड किंग्डम की सरकार

और भारत गणराज्य की सरकार

के बीच

करार

ग्रेट ब्रिटेन तथा उत्तरी आयरलैंड की यूनाइटेड किंगडम की सरकार तथा भारत गणराज्य की सरकार १जिन्हें इसके बाद संविदाकारी पक्ष कहा गया हैं।

एक राज्य के निवेशकों द्वारा दूसरे राज्य के भू-भाग में अधिक निवेश को विकसित करने हेतु अनुकूल स्थितिया पैदा करने की इंग्डा रखते हुए;

यह स्वीकारते हुए कि ऐसे निवेश संबंधी अंतर्राष्ट्रीय करार के तहत प्रोत्साहन और पारस्परिक संरक्षण व्यक्तिगत व्यापारिक पहल हेतु प्रेरण में सहायक होंगे और दोनों राज्यों में समृद्धि बढ़ेगी:

निम्निलिखित रूप में सहमत हुई हैं:

अनु छेद ।

परिभाषा ए

इस करार के प्रयोजनार्थ:

- हिक्8 "क्पनियां" का अर्थ है:
- §1 § यूनाइटेड किंगडम के संबंध में: यूनाइटेड किंगडम के किसी भी भाग में
 अथवा ऐसे किसी भी भू-भाग में, जिस पर अनुच्छेद 13 के उपवंधों के अनुसार
 यह करार लागू होता है, प्रवृत्त कानुन के तहत निगमित अथवा गठित
 निगम, फर्में और एसो सिएशनें;

- ।। भारत के संबंध में: भारत के किसी भी भाग में प्रवृत्त कानून के तहत निगमित अथवा गठित निगम, फ्रमें और एसो सिएशनें;
- १ विका" का अर्थ है स्थापित अथवा अधिमृहीत प्रत्येक किस्म की परि− सम्पत्ति जिसमें सविदाकारी पक्ष जिसके भू-भाग में निवेश किए जा रहे हों, के राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार ऐसे निवेश के रूप में परिवर्तन शामिल हों और जिनमें विशेष रूप से, यद्यपि एका तिक नहीं, निम्नलिखित शामिल हों:
- है। है चल और अचल संपर्टित के साथ-साथ बंधक, ग्रहणा धिकारों अथवा धरोहर जैसे अन्य अधिकार;
- ।। बैं कैंपनी में शेयर और उसके स्टाक तथा डिबेंचर तथा कंपनी के हित के अन्य इसी प्रकार के रूप:
- %।।। ¾ धन अथवा सँविदा के तहत वित्तीय मृत्य युक्त किसी कार्य निष्पादन के अधिकारपूर्ण दावे;
- १। ∨१ प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के संगत कानूना के अनुसार बौद्धिक संपत्ति अधिकार, सदभाव, तकनीकी पृक्तियाएं और जानकारी:
- र्शिं "निवेशकों" का अर्थ है संविदाकारी पक्ष का कोई राष्ट्रिक अथवा कंपनी;
- १ष राष्ट्रिको" का अर्थ है:
- १। १ यूनाइटेड किंगडम के संबंध में: यूनाइटेड किंगडम में प्रवृत्त कानून के अन्तर्गत यूनाइटेड किंगडम के राष्ट्रिकों के रूप में अपनी स्थिति प्राप्त करने वाले वास्तिक व्यक्ति:
- ।। । भारत के तंबंध में: भारत में प्रवृत्त कानून के अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रिकों के त्य में अपनी स्थिति प्राप्त करने वाले व्यक्ति:

- §ड• § "आय" का अर्थ है निदेश द्वारा अर्जित मौद्रिक राशिया जैले लाभ, ब्याज, पूंजीगत लाभ, लाभाश, रायल्टी और शुत्क;
- हिच्हें "भू-भाग" का अर्थ है;
- [1] यूनाइटेट किंगडम के संबंध में: ग्रेट ज़िटेन तथा उत्तरी आयरलैंड, जिसमें यूनाइटेड किंगडम के सीमान्तर्गत जलक्षेत्र और सीमान्तर्गत जलक्षेत्र से आगे स्थित कोई भी समुद्री क्षेत्र जो अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार यूनाइटेड किंगडम के राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत ऐसे क्षेत्र के रूप में नामित हो अथवा भविष्य में नामित किया जाना हो जिसके भीतर यूनाइटेड किंगडम समुद्री तल और अवमृदा तथा प्राकृतिक तसाधनों के सबंद में अधिकारों का प्रयोग कर सके, और ऐसा कोई भू-भाग जिस पर अनु खेद-13 के उपबंधों के अनुसार यह करार लागू होता हो;
- १।। १ भारत के संबंध में: भारत गणरा ज्य का भू-भाग जिसमें इसका सीमान्तर्गत जलक्षेत्र और इसका वायुक्षेत्र शामिल है तथा अन्य समृद्धी क्षेत्र जिसमें विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और महाद्वीपीय तल शामिल है जिसपर भारत गणरा ज्य का अपने प्रवृत्त कानूनों तथा समृद्ध संबंधी कानून पर 1982 के संयुक्त राष्ट्र के अभिसमय सहित सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार प्रभुतत्ता, प्रभुतत्ता त्मक अधिकार अथवा अधिकारिता हो ।

अनुच्छेद 2

करार का कार्य-क्षेत्र

यह करार किसी भी संविदाकारी पक्ष के निवेशकों द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में किए गए सभी निवेशों, भले ही वे इस करार के प्रवृत्त होने से पूर्व अथवा बाद में किए गए हों, पर लागू होगा।

अनुच्छेद उ

निवेश का संवर्धन और संरक्षण

- ११ प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष के निवेशकों के लिए अपने भूभाग में निवेश करने तथा अपने कानूनों और नीति के अनुसार ऐसे निवेशों को स्वीकारने के लिए प्रोत्साहन देगा और अनुकृत स्थितिया पैदा करेगा ।
- \$2 के पित्रेक संविदाकारी पक्ष के निवेशकों के निवेशों के साथ सदैव उचित और समान व्यवहार किया जाएगा और उन्हें दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में पूर्ण संरक्षण और सुरक्षा मिलेगी।
- प्रित्यंक तंविदाकारी पक्ष ऐसा कोई भी वचन पूरा करेगा जो उसने दूसरे
 संविदाकारी पक्ष के निदेशकों के निवेशों के संबंध में किया हो ब्हातें कि
 इस करार के अनुच्धेद ९ के अन्तर्गत विवाद संबंधी संकल्प सामान्य स्थानीय
 न्यायिक समाधान के उपलब्ध न होने पर ही लागृ होगा ।

अनु चेद 4

राष्ट्रीय व्यवहार और सर्वाधिक प्रिय राष्ट्र का व्यवहार

- Ў। Ў प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष के निवेशकों के निवेशों को, उन निवेशकों द्वारा उनके प्रचालन, प्रबन्ध, अनुरक्षण, प्रयोग, उपयोग अथवा निपटान सहित ऐसा व्यवहार प्रदान करेगा जो इसके अपने निवेशकों के निवेशों अथवा किसी तीसरे राज्य के निवेशकों के निवेशों दे साथ किए जाने वाले व्यवहार से कम अनुकूल नहीं होगा ।
- §2
 §
 इसके अतिरिक्त, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष के
 निदेशकों के साथ, उनके निदेशों पर अर्जित होने वाली आय के संबंध में
 सहित, ऐसा व्यवहार करेगा जो किसी तीसरे राज्य के निदेशकों को
 प्रदान किए जाने वाले व्यवहार से कम अनुकृत नहीं होगा ।

- §3 किसी भी तंविदाकारी पक्ष अथवा किसी तीसरे राज्य के निवेशकों के साथ किए गए व्यवहार से कम अनुकूल व्यवहार प्रदान न करने के बारे में इस करार के उपखंधों का ऐसा अर्थ न लगाया जाए कि एक संविदाकारी पक्ष निम्निलिखित से उभरने वाले किसी व्यवहार, प्राथमिकता अथवा विशेषा-धिकार का लाभ दूसरे संविदाकारी पक्ष के निवेशकों को देने को बाध्य होगा:
- हैं कोई भी मौजूदा अथवा भावी सीमा-शुल्क संघ अथवा ऐसा ही अंतर्राष्ट्रीय करार जिसका कि कोई भी संविदाकारी पक्ष एक पक्ष हो अथवा बनने की संभावना हो; अथवा
- १ृष्ठं कराधान ते पूर्णत: अथवा मुख्यत: संबंधित कोई अंतरा ष्ट्रीय करार अथवा व्यवस्था या कराधान ते पूर्णत: अथवा मुख्यत: संबंधित कोई देशीय विधान।

अनुच्छेद 5

स्वा मित्वहरण

शार्थिक गतिविधि को विनियमित करने के लिए आन्तरिक अपेक्षाओं से संबंधित तार्वजनिक प्रयोजनों को छोड़कर, किसी भी संविदाकारी पक्ष के निक्सों के निक्सों का दूसरे तीवदाकारी पक्ष के भू-भाग में राष्ट्रीयकरण, स्वामित्वहरण नहीं किया जाएगा अथवा उन्हें ऐसे उपायों के अधीन नहीं लाया जाएगा जिनका प्रभाव राष्ट्रीयकरण अथवा स्वामित्वहरण शिजसे इसके बाद स्वामित्वहरण कहा गया है के समकक्ष हो । ऐसी क्षतिपृतिं स्वामित्वहरण से एकदम पहले अथवा आसन्त स्वामित्वहरण के सार्वजनिक स्प से जात होने ते पहले, जो भी पहले हो, स्वामित्वहरण के तार्वजनिक प्रमाणिक मृत्य के बराबर हो, जिसमें भुगतान की तारीख तक उचित और समान दर पर ब्याज शामिल हो, बिना अनुचित विलम्ब के अदा की जाए, प्रभावी ल्प से बत्न किए जाने यो स्य हो और मुक्त ल्प से अन्तरणीय हो ।

- §2 § प्रभावित निकेशक को इस पैराग्राफ में निधारित सिढान्तों के अनुलार स्वामित्वहरण करने वाले निवदाकारी पक्ष के कानून के तहत उस पक्ष के न्यायिक अथवा किसी अन्य स्वतंत्र प्राधिकरण से अपने अथवा उसके नामले पर तथा अपने अथवा उसके निवेशों के मूल्य निधारण पर पुनर्विचार करवाने का अधिकार होगा । स्वामित्वहरण करने वाला सीवदाकारी पक्ष यह सुनिश्चित करने का हर प्रयास करेगा कि ऐसा पुनर्विचार तत्काल किया जाए ।
- §3 इंडा कोई संविदाकारी पक्ष किसी ऐसी कंपनी की परितंपित्तियों का स्वामित्वहरण करता है जो इसके अपने भू-भाग के किसी भाग में प्रवृत्त कानून के अंतर्गत निगमित अथवा गठित की गई हो और जिसमें दूसरे संविदाकारी पक्ष के निवेशकों के शेयर हो, तब वह यह सुनिश्चित करेगा कि इस अनु छेद के पैरा १। १ के उपविध दूसरे संविदाकारी पक्ष के ऐसे निवेशकों, जो उन शेयरों के स्वामी है, के निवेशों के सब्ध में तत्काल पर्याप्त और प्रभावी अतिपूर्ति की गारटी देने हेतु यथासभव लागू िए जाएं।

अनुच्छेद 6

हानियों की क्षतिपूर्ति

ऍ। ऍ एक ऐसे लंकिदाकारी पक्ष के निक्सकों को जिसके दूसरे संकिदाकारी पक्ष के मू-भाग में किए गए निक्सों को युद्ध अथवा अन्य सशस्त्र संघर्ष, राष्ट्रीय आपात स्थिति या दूसरे लंकिदाकारी पक्ष के मू-भाग में सिविल उपद्रवों के कारण हानियां होती है तो दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा उसके लिए क्षतिपूर्ति, प्रत्यर्पण, मुआवजा या अन्य प्रकार से निपटान के सबंध में ऐसा अनुकृत व्यवहार किया जाएगा जो दूसरे संविदाकारी पक्ष को अपने निक्सकों को अथवा किसी तीसरे देश के निक्सकों को इन स्थितियों में किए गए व्यवहार से कन नहीं होगा । इसके परिणामस्वरूप होने वाले भुगतान मुक्त या से परिवर्तनीय होंगे ।

- §2 इस अनु छेद के पैराग्राफ हैं। हैं को प्रतिकृत रूप से प्रभावित दिए खिना, एक सीवदालारी पक्ष के निदेशकों को जिन्हें उक्त पैराग्राफ में उल्लिखित किसी भी स्थिति में निम्नलिखित के कारण दूसरे सीवदाकारी पक्ष के भू-भाग में खानियां उठानी पड़े;
- १्वं दूसरे पक्ष की रोनाओं या अधिकारियों द्वारा उनकी संपर्तितयों का अधि-ग्रहण, अथदा
- रूंख दूसरे पदा की सेनाओं अथवा अधिकारियों हारा उनकी संपरितयों का विनाश, जो संधर्पपूर्ण कार्रवाई के कारण न हुआ हो अथवा स्थिति की आवश्यकता के अनुसार अपेक्षित न रहा हो,

तो उन्हें उचित मुआवजा या क्षतिपृतिं की जाएगी। इसके परिणामस्वरूप होने वाली अदायगिया मुक्त रूप से परिवर्तनीय होंगी।

अनु चेद 7

निवेश और प्राप्तियों का प्रत्यावर्तन

पृत्येक संविदाकारी पक्ष निदेशों के मामले में दूसरे संविदाकारी पक्ष के निदेशों को उनके निदेशों और प्राप्तियों के लिए अप्रतिबंधित अंतरण की अनुमति देगा । ये अंतरण उस परिवर्तनीय मुद्रा में जिसमें मूल रूप से पूंजी निदेश की गई थी अथवा निदेशक और संबंध संविदाकारी पक्ष प्रारा सहमत अन्य किसी परिवर्तनीय मुद्रा में अवितम्य क्रियानियत होंगे । जब तक निदेशक प्रारा अन्यथा सहमति न दी गई हो, ये अंतरण प्रवृत्त मुद्रा विनिमय विनियमों के अनुसार अंतरण की तारीख को लागू विनिमय दर पर किए जाएंगे।

अनु चोद 8

प्रतिस्था पन

१। यदि एक संविदाकारी पक्ष अथवा इसकी निर्दिष्ट एजेंसी ने दूसरे संविदा-कारी पक्ष के भू-भाग ने अपने किसी निदेशक द्वारा किए गए किसी प्रकार के निदेश के संबंध में गैर-वाणिज्यिक जो खिमों के विल्ब किसी प्रकार की का किति शिति शारटी दी हो और इस करार के अन्तर्गत उनके दावों के संबंध में ऐसे निदेशकों को भुगतान कर दिया हो तो दूसरा सीवदाकारी पक्ष इस पर सहमत होगा कि पहला सीवदाकारी पक्ष या इसके दारा निर्दिष्ट एजेंसी प्रतिस्थापन के कारण उन निवेशकों के अधिकारों का प्रयोग करने और उनके दावों को प्रस्तुत करने की हकदार है। ये प्रतिस्थापित अधिकार या दावे ऐसे निवेशकों के मूल अधिकारों या दावों से अधिक नहीं होंगे। प्राप्त अधिकारों और दावों के अनुसरण में प्रथम सीवदाकारी पक्ष दारा अपरिवर्तनीय मुद्रा में प्राप्त हुए दिस्ती प्रकार के भुगतान प्रथम सीवदाकारी पक्ष को दूसरे सीवदाकारी पक्ष के भूनभाग में किसी भी प्रकार के किए गए सरकारी खर्चों को पूरा करने के प्रयोजनार्थ निर्वाध उपलब्ध होंगे।

अनु छेद १

828

निदेशक तथा मेजवान सरकार के बीच विवाद का निपटान

- एक सीवदाकारी पक्ष के निदेशक तथा दूसरे सीवदाकारी पक्ष के बीच इस
 करार के अन्तर्गत पृथम सीवदाकारी पक्ष के निवेशक के निवेश संबंधी दिसी
 विवाद का निपटान, यथा संभव, विवादग्रस्त पक्षों के बीच बातचीत हारा
 शांतिपूर्वक किया जाएगा ।
- \$2
 \$\frac{1}{2}\$ पेता कोई विवाद जिल्ला दावे की लिखित अधितृदना से छ: माह की अविव के अन्दर शा तिपूर्वक निपटान नहीं हुआ है तो उसे, यदि विवाद-गृस्त पक्ष सहमत हो जाते है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग के निपटारा नियमों के अन्तर्गत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए पृस्तुत कर दिया जाए ।
- §3 हैं जहां विवाद को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए नहीं मेजा जाता अथवा जहां इसे इस प्रकार मेजा जाता है परन्तु मध्यस्थता कार्यवाहियां निपटान करार के हस्ताक्षर करने से अन्यत्र प्रकार से समाप्त हो जाती है तो विवाद को विवादन के लिए निम्न प्रकार भेजा जा सकता है:

- १७ यदि विवादग्रस्त दोनां पक्ष निपटान, विवाचन अथवा तथ्यान्येषण कार्य-वाही के संवालन संबंधी अतिरिक्त सुविधाओं के अन्तर्गत इस प्रकार सहमत हो जाते हैं; अथवा
- हिवाद से संबंधित दोनों में से किसी पक्ष द्वारा संयुक्त राष्ट्र अंतराष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग, 1976 के विवादन नियमों के अनुसार तदर्थ विवादन न्याया धिकरण को भेजा जा सकता है। ऐसी विवादन प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित लागू होगा;
- [1] विवादन न्याया किरण में तीन विवादक होंगे। पुत्येक पक्ष एक विवादक का चयन करेगा। ये दोनों विवादक आपसी सहमति से एक तीसरा विवादक अर्थात् अध्यक्ष नियुक्त करेंगे जो तीसरे राज्य का राष्ट्रिक होगा विवादकों की नियुक्ति उस तारीख से दो माह के भीतर की जाएगी जब विवाद संबंधी एक पक्ष दूसरे पक्ष को इस अनुच्छेद के पैरा [2] में पहले उल्लिखित छ: माह की अविध के अन्दर विवाद को विवादन के लिए भजने संबंधी अपनी मौशा के बारे में सूचित कर देगा:
- १।। १ यदि आवरयक नियुक्तिया उप-पैरा १ग११। १ में निर्दिष्ट अविध के अन्दर नहीं की जाती है, तो दोनों में से कोई भी पक्ष, कोई अन्य करार न होने पर, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष से आवश्यक नियुक्तिया करने का अनुरोध कर सकता है:
- १।। १ विवादन पंचाट इस करार के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;
- १।√१ न्यायाधिकरण बहुमत से निर्णय लेगा;
- १८१ विवाचन न्यायाधिकरण का निर्णय अतिम एवं बाध्य होगा और दोनों पक्ष इसके पंचाट की सेवा शतां का अनुपालन करेंगे;

- । विवाचन न्याया विकरण अपने निर्णय का आधार बताएगा और दोनों में से किसी भी पक्ष के अनुरोध पर कारण बताएगा;

अनु चेद 10

संविदाकारी पक्षा के बीच विवाद

- १। १ संविदाकारी पक्षों के बीच इस करार की व्याख्या अथवा प्रांग से संविद्याल विवादों को, जहाँ तक संभव हो, बातचीत के माध्यमसे निपटाया जाना चा हिए।
- अगर संविदाकारी पक्षों के बीच विवाद का निपटारा इस प्रकार विवाद
 उत्पन्न होने के समय से छ: महीने के भीतर नहीं विया जा सकता तो यह
 दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष के अनुरोध पर पंचाट न्यायाधि─
 करण को प्रस्तुत किया जाएगा ।
- §3 हैं पेता पचाट न्याया विकरण प्रत्येक मानले के लिए निम्नानुतार तरीके से गठित किया जाएगा । पचाट-निर्मांध के लिए अनुरोध प्राप्ति के समय से दो महीनों के भीतर प्रत्येक संविदाकारी पक्ष न्याया विकरण का एक सदस्य नियुक्त करेगा । वे दोनों सदस्य तब किसी तीसरे राष्ट्र के राष्ट्रिक का चयन करेंगे, जिसे दोनों संविदाकारी पक्षों के अनुमोदन पर न्याया धिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा । अध्यक्ष की नियुक्ति अन्य दो सदस्यों की नियुक्ति की तारीख से दो महीनों के भीतर की जाएगी ।

- ३४१ अगर इस अनु छेद के पैराग्राफ १३१ में निर्दिष्ट अविध के भीतर आवस्यक नियुक्तिया नहीं की जाती है तो दोनों में से कोई भी सिव्दाकारी पक्ष विसी अन्य करार के न होते हुए, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष को आवस्यक नियुक्तिया करने के लिए आमंत्रित कर सकता है। अगर अध्यक्ष किसी सिव्दाकारी पक्ष का राष्ट्रिक हो अथवा उसे उक्त कार्य करने से अन्यथा रोका जाता है तो उपाध्यक्ष को आवस्यक नियुक्तिया करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। अगर उपाध्यक्ष दोनों में से किसी भी सिव्दाकारी पक्ष का राष्ट्रिक हो अथवा उसे भी उक्त कार्य करने से रोका जाता है तो अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में अगली वरिष्ठता वाले सदस्य, जो दोनों में से किसी भी सिवदाकारी पक्ष का राष्ट्रिक हो अथवा उसे भी उक्त कार्य करने से रोका जाता है तो अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में अगली वरिष्ठता वाले सदस्य, जो दोनों में से किसी भी सिवदाकारी पक्ष का राष्ट्रिक नहीं है, को आवस्यक नियुक्तिया करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
- §5 पंचाट न्याया किंकरण बहुमत द्वारा अपना निर्णय करेगा । ऐसा निर्णय दोनों संविदाकारी पक्षों पर बाध्यकारी होगा । प्रत्येक संविदाकारी पक्ष न्याया किरण के अपने सदस्य का और पंचाट कार्यवाहियों में उसके प्रतिनिधित्व का उर्च वहन करेगा; अध्यक्ष का उर्च और अन्य शेष उर्च का वहन बराबर मात्रा में संविदाकारी पक्षों द्वारा किया जाएगा । तथापि, न्याया किरण अपने निर्णय में यह निर्देश दे सकता है कि उर्च का उड़ा भाग दो संविदाकारी पक्षों में से किसी एक द्वारा वहन किया जाएगा और वह निर्णय दोनों संविदाकारी पक्षों पर बाध्यकारी होगा । न्याया किरण अपनी कार्य प्रणाली स्वयं निर्धारित करेगा ।

अनु छेद ।।

प्रयोज्य कानून

- इस करार के उपवंदा के अधीन, समस्त निदेश सीवदाकारी पक्ष के भूभाग
 में, जिसमें इस प्रकार का निदेश किया जाता है, प्रवृत्त कान्नों द्वारा
 शासित होगा ।
- §2 इस अनु छेद के पैरा \$1 € के होने पर भी, यह करार मेजबान संविदाकारी पक्ष को अपने आवश्यक सुरक्षा हिता के सरक्षण हेतु कार्रवाई करने अथवा

अत्यधिक आपातिक परिस्थितियों में भेदभाव रहित आधार पर सामा-न्यत्या और उपयुक्त रूप से प्रयुक्त अपने कानुनों के अनुसार कार्रवाई करने के संबंध में प्रतिबाधित नहीं करेगा।

अनु छेद 12

बन्य नियमों की प्रयोज्यता

यदि वर्तमान में मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत दोनों में से किसी संविदाकारी पक्ष के उपलंध अथवा लाध्यताएँ अथवा संविदाकारी पक्षों के बीच वर्तमान करार के अतिरिक्त इसके बाद स्थापित व्यवस्थाओं में ऐसे नियम, चाहे वे सामान्य हो अथवा विशिष्ट, अंतर्विष्ट है जो दूसरे संविदाकारी पक्ष के निवेशकों द्वारा निवेश के लिए वर्तमान करार द्वारा पृद्तत व्यवहार से अधिक अनुकृत व्यवहार पृदान करते हैं तो ऐसे नियम उस सीमा तक, जहां तक वे अधिक अनुकृत है, वर्तमान करार पर अभिभावी होंगे।

अनु छेद 13

भू-भागीय विस्तार

इस करार के अनुसमर्थन के समय अथवा उसके बाद किसी भी समय, इस करार के उपबंधों का विस्तार ऐसे भू-भागों तक किया जा सकता है जिनके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए यूनाइटेड किंगडम की सरकार उत्तरदायी है और जिस पर टिप्पणियों के आदान-प्रदान में संविदाकारी पक्षों के बीच सहमति हो।

अनु छेद । 4

करार का प्रवृत्त होना

यह करार अनुसमर्थन के अधीन होगा और अनुसमर्थन संबंधी दस्तावेजों के आदान-प्रदान की तारीखं से प्रवृत्त होगा।

अनु छेद 15

करार की समयाविष और समाप्ति

यह करार दस वर्ष की समयाविध के लिए प्रवृत्त रहेगा । उसके बाद यह उस

तारीख से बारह महीने की समाप्ति तक प्रवृत्त रहेगा जिस तारीख को दोनों में से किसी संविदाकारी पक्ष ने दूसरे पक्ष को इस करार को समाप्त करने की लिखित सूचना दी हो । ब्हार्ते कि करार के प्रवृत्त रहते हुए किए गए निक्शों के संबंध में इसके उपबंध करार समाप्ति की तारीख के बाद पन्द्रह वर्षों की अवधि के लिए और उसके बाद भी सामान्य अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों के बनुप्योग पर बिना किसी प्रतिकृत प्रभाव के ऐसे निक्शों के संबंध में लागू रहेंगे।

अनुच्छेद । 6

करार का एक पाठ हिन्दी भाषा में होगा जो दोनों सरकारों दारा विध्वत्रप से प्रमाणीकृत होगा और जो समान स्प से प्राधिकृत होगा।

जिसके साक्ष्य में अधोहरता क्षरकर्ता औं ने अपनी-अपनी सरकारों की ओर से विधिवत् प्राधिकृत हो कर इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

बाज दिनाक । 4 मार्च, 1994 को लन्दन में दो प्रतियों में सम्पन्न हुआ ।

ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आपरलैंड की यूनाइटेड किंगडम की सरकार की ओर से

भारत गणराज्य सरकार की और से